रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230736
CG-DL-E-26102021-230736

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4098]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943
No. 4098]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4453(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम 2021, (2021 का 19) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान नियम 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ -** (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, उद्यमिता और प्रबंध अधिनियम 2021, (2021 का 19) अभिप्रेत है।

(ख) "सचिव" से परिषद का सचिव अभिप्रेत है।

(ग) उन शब्दों और पदों का जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उनके उस अधिनियम में है ।

3. पदेन सदस्य से भिन्न, परिषद् के किसी सदस्य की रिक्ति को भरने की रीति-

(1) सचिव, धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्देशन के लिए शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थान या सुविख्यात संगठनों के प्रधान को, युक्तियुक्त समय के भीतर परिषद को उपयुक्त नामों की सिफारिश करने हेतु

लिखेगा जो सामान्य रूप से उस तारीख से जिसको ऐसे आमंत्रण जारी किए गए हैं, से आठ सप्ताह से अनधिक होगा ।

(2) सचिव, धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्देशन के लिए खाद्य और पेय पदार्थ उद्योग संघों के प्रधान को, युक्तियुक्त समय के भीतर परिषद को उपयुक्त नामों की सिफारिश करने हेतु लिखेगा जो सामान्य रूप से उस तारीख से जिसको ऐसे आमंत्रण जारी किए गए हैं, से आठ सप्ताह से अनधिक होगा।

(3) उपरोक्त उपनियम(1) और उप नियम(2) के अधीन प्राप्त नामों को नाम निर्देशन करने के लिए परिषद के अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा।

(4) सचिव, धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (i) के अधीन नाम निर्देशन करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को लिखेगा।

4. पदेन सदस्य से भिन्न परिषद के किसी सदस्य को हटाना -

(1) केंद्रीय सरकार, परिषद के किसी ऐसे सदस्य को आदेश द्वारा हटा सकेगी, –

(क) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ख) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ग) जो विकृत्त चित्त है; या

(घ) जो शारीरिक या मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने के अयोग्य है; या

(ड.) जो परिषद की लगातार तीन बैठकों से उसकी बिना अनुमति के अनुपस्थिति रहा है; या

(च) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(छ) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा:

परंतु किसी सदस्य को इस नियम के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

5. परिषद की बैठक का स्थान और समय, उसकी गणपूर्ति और उसकी कार्य संचालन करने की प्रक्रिया

(1) परिषद, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम दो बार बैठक करेगी।

(2) परिषद की बैठकें, परिषद के अध्यक्ष द्वारा स्वप्रेरणा से या सचिव के अनुरोध पर अथवा परिषद के कम से कम सात सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर बुलाई जाएंगी।

(3) परिषद की बैठक का स्थान और समय परिषद के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और आधे सदस्यों से गणपूर्ति होगी ।

(4) प्रत्येक बैठक की सूचना कार्यसूची का उल्लेख करते हुए सदस्य-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पूर्व उस बैठक के स्थान, तारीख और समय का उल्लेख करते हुए भेजी जाएगी:

परंतु अध्यक्ष तत्काल मुद्दों पर विचार करने के लिए अल्प सूचना पर परिषद की कोई बैठक बुला सकेगा ।

(5) किसी बैठक की सूचना अधिमानतः ईमेल से भेजी जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत या स्पीड पोस्ट से या दस्ती द्वारा परिषद के कार्यालय में अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर परिदत्त की जा सकती है और यदि सूचना ऐसी भेजी जाती है तो उसे सम्यक रूप से परिदत्त हुआ समझा जाएगा उस समय जब सूचना डाक के सामान्य क्रम में परिदत्त की जाएगी:

परंतु सूचना फैक्स या लघु संदेश सेवा के माध्यम से भी भेजी जा सकेगी।

(6) अध्यक्ष, बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

(7) परिषद, उन सभी मदों पर जो उसकी अधिकारिता में आती हैं और व्यष्ठिक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थानों के विभिन्न शासी बोर्ड द्वारा निर्देशित मदों पर भी विचार करेगी है ।

(8) कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावों की सूचना बैठक से कम से कम पाँच दिन पूर्व सचिव के पास पहुंच जाएगी:

परंतु परिषद का अध्यक्ष ऐसी मद को सम्मिलित करना अनुज्ञात कर सकेगा जिसके लिए सम्यक सूचना प्राप्त हुई हो

(9) परिषद की बैठक में विचार किए गए सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत और परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से विनिश्चित किए जाएंगे ।

(10) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में परिषद के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

(11) परिषद की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सचिव द्वारा तैयार किया जाएगा और परिषद के सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।

(12) परिषद के अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि तथा हस्ताक्षर के पश्चात, उन्हें अधिसूचित कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित किया जाएगा, जिसे कार्यालय समय के दौरान हर समय परिषद के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा।

6. बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की रीति-

(1) बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए, एक खोज-सह-चयन समिति होगी जिसमें प्रशासकों, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और प्रबंध विशेषज्ञों में से चुने गए पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिसका गठन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा।

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया वर्तमान पदधारी का कार्यकाल पूरा होने से कम से कम तीन मास पूर्व आरंभ होगी और वर्तमान पदधारी के कार्यकाल पूरा होने से तीस दिन पूर्व पूरी की जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष के पद के लिए चयन प्रक्रिया उपरोक्त अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है, तो बोर्ड के सदस्य अपने बीच में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव तीन मास से अनाधिक व या किसी नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए करेंगे।

(3) अध्यक्ष के त्यागपत्र या मृत्यु के कारण उद्भूत होने वाली रिक्ति की दिशा में बोर्ड के सदस्य अपने बीच में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव तीन मास या कियी नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, के लिए करेंगे।

(4) किसी भी व्यक्ति को दो कार्यकालों से अधिक के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(5) कोई व्यक्ति जिसने नियुक्ति की तारीख को सत्तर वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा उसका कोई हितों का टकराव नहीं है, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(6) खोज-सह-चयन समिति केंद्रीय सरकार को तीन नामों के पैनल को अन्तर्विष्ट करने वाली एक सूची प्रस्तुत करेगी।

(7) अध्यक्ष के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति से पूर्व, वह एक घोषणा करेगा/करेगी कि संस्थान के कार्यों में किसी भी रीति में उसके हितों का कोई टकराव नहीं है और यदि उसके कार्यकाल के दौरान पश्चातवर्ती स्तर पर ऐसा कोई हितों का टकराव पाया जाता है तो तुरंत पद से इस्तीफा दे देगा/देगी।

(8) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन के सिवाय किसी भी अध्यक्ष को उसके पद से हटाया नहीं जाएगा।

7. लेखों और अभिलेखों का प्ररूप और उचित रखरखाव

(1) संस्थान, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से, वित्त मंत्रालय द्वारा विहित लेखों के समान प्ररूप के अनुसार वित्तीय विवरणों के रूप में अपने लेखों और अभिलेखों को बनाए रखेंगे।

(2) संस्थान, भारत सरकार से प्राप्त सभी निधियों के लिए पृथक बहीखाता रखेगा और ऐसे अनुदानों के उचित उपयोग के संबंध में संस्थान लेखों का रखरखाव करेगा ।

(3) संस्थान, वित्तीय विवरणों को बनाए रखने में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी/किए साधारण निदेशों का पालन करेगा।

8. संस्थान के लेखों का वार्षिक विवरण तैयार और प्रस्तुत करना

(1) संस्थान, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के परामर्श से, वित्त मंत्रालय द्वारा विहित लेखों के समान प्ररूप के अनुसार वित्तीय परिणामों को दर्शाने वाले अपने वार्षिक लेखा विवरण और तुलन पत्र तैयार करेंगे।

(2) निदेशक, निदेशक द्वारा समम्य रूप से अधिप्रमाणित और शासी बोर्ड द्वारा पारित संस्थानों के वार्षिक लेखा विवरण और तुलन-पत्र को आगामी वर्ष के 30 जून के अपश्चात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अग्रेषित करेगा ।

(3) संस्थानों का सम्यक रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित, उस पर लेखा संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, निदेशक द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय सरकार को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने हेतु आगामी वर्ष के 31 अक्तूबर तक अग्रेषित किया जाएगा।

[फा. सं. I-11013/1/2020-आईडी]

मिनहाज आलम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4453(E).—In exercise of the powers conferred by section 38 of the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act 2021, (19 of 2021) the Central Government, hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement -** (1) These rules may be called the National Institutes of Food Technology Entrepreneurship and Management Rules 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** (1) In these rules, unless the context otherwise required -

   (a) "Act" means the National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Act 2021 (19 of 2021);

   (b) "Secretary" means the Secretary of the Council.

   (c) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. **The manner of filling up the vacancy of a member of the Council other than an ex-officio member –**

   (1) For nomination under clause (g) of sub-section (2) of section 28, the Secretary shall write to the head of Academic and Scientific Institution or organizations of repute for recommending suitable names to the Council within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued.

   (2) For nomination under clause (h) of sub-section (2) of section 28, the Secretary shall write to the head of Food and Beverages Industry Associations for recommending suitable names to the Council within a reasonable time not ordinarily exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued.

   (3) The names received under sub-rules (1) and (2) above shall be placed before the Chairperson of the Council for making nomination.

   (4) For making nomination under clause (i) of sub-section (2) of section 28, the Secretary shall write to the Ministry of Parliamentary Affairs for nominations.

4. **Removal of a member of the Council other than an ex-officio member -**

(1) The Central Government may, by order remove any member of the Council, who -

(a) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude; or

(b) has been adjudged as an insolvent; or

(c) is of unsound mind; or

(d) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(e) has been absent from three consecutive meetings of the Council without its permission; or

(f) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his function as a member; or

(g) has so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest:

Provided that no member shall be removed under this rule, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in matter.

5. **Time and place of meeting of the Council, its quorum and the procedure for conducting business therein -**

(1) The Council shall meet at least twice during a calendar year.

(2) The meetings of the Council shall be convened by the Chairperson of the Council suo-moto or at the request of the Secretary or on a requisition signed by not less than seven members of the Council.

(3) The time and place for the meeting of the Council shall be decided by the Chairperson of the Council and half of the members shall form a quorum.

(4) A notice of every meeting containing the agenda shall be sent by the Secretary to every member at least ten days before the date of the meeting, mentioning therein the place, date and time of the meeting:

Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Council at short notice to consider urgent issues.

(5) The notice of a meeting may be sent preferably by email or by registered post or speed post or delivered by hand at the address of each member as recorded in the office of the Council and if so sent shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post:

Provided that the notice may also be sent through facsimile or short message service.

(6) The Chairperson shall preside over the meetings.

(7) The Council shall consider all items which falls within its jurisdiction and also items referred to it by various Board of Governors of the individual National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management.

(8) Notices of motions for inclusion of any item in the agenda shall reach the Secretary at least five days before the meeting:

Provided that the Chairperson of the Council may permit inclusion of any item for which due notice has been received.

(9) All questions considered at the meeting of the Council shall be decided by a majority of the members present and with the approval of the Chairperson of the Council.

(10) The decision of the Chairperson of the Council in regard to all questions of procedure shall be final.

(11) The minutes of the proceedings of a meeting of the Council shall be drawn up by the Secretary and circulated to the members of the Council.

(12) After the minutes are confirmed and signed by the Chairperson of the Council, they shall be recorded in a notified minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Council at all times during office hours.

6. Manner of Appointment of Chairperson of the Board -

(1) For appointment of Chairperson of the Board, there shall be a Search-cum-Selection committee comprising of five eminent persons chosen from amongst administrators, industrialists, educationists, scientists, technocrats and management specialists to be constituted by the Central Government.

(2) The appointment process of Chairperson shall begin at least three months prior to the completion of the tenure of the current incumbent and shall be completed thirty days before the completion of tenure of the current incumbent:

Provided that if the process of selection for the post of Chairperson is not completed within the aforesaid period, the members from amongst themselves shall elect an acting Chairperson for a period not exceeding three months or till a regular Chairperson is appointed, whichever is earlier.

(3) In case of vacancy arising out of resignation or death of the Chairperson, the members from amongst themselves shall elect an acting Chairperson for a period not exceeding three months or till a regular Chairperson is appointed, whichever is earlier.

(4) No person shall be appointed as Chairperson for more than two terms.

(5) A person who has not attained the age of seventy years as on the date of appointment and has no conflict of interest, shall be eligible for appointment and as Chairperson.

(6) The Search-cum-Selection Committee shall submit to the Central Government a list containing a panel of three names.

(7) Prior to the appointment of a person as Chairperson, he or she shall give a declaration that he or she has no conflict of interest in any manner with the affairs of the institute, and in case, any such conflict of interest is found in later stage during his or her tenure, shall resign from the position forthwith.

(8) No Chairperson shall be removed from his or her post except with the approval of the Central Government.

7. Form and Maintenance of proper accounts and records -

(1) The Institutes shall maintain its accounts and records in the Form of financial statements as per uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance in consultation with Comptroller and Auditor General of India.

(2) The Institutes shall maintain separate ledger accounts for all funds received from the Government of India and maintain accounts of the Institutes regarding proper utilization of such grants.

(3) The Institutes shall follow the general directions issued from time to time by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India in maintaining the financial statements.

8. Preparation and submission of annual statement of accounts of the Institutes -

(1) The Institutes shall prepare its annual statement of accounts and balance sheet showing the financial results as per uniform format of accounts prescribed by the Ministry of Finance in consultation with Comptroller and Auditor General of India.

(2) The annual statement of accounts and balance sheet of the Institutes, duly authenticated by the Director and passed by the Board of Governors shall be forwarded to the Comptroller and Auditor General of India, not later than the 30th June of the following year.

(3) The duly audited annual statement of accounts of the Institutes as certified by the Comptroller and Auditor General of India together with the audit report thereon shall be forwarded by the Director for every financial year to the Central Government by 31st October of the following year for laying before the both Houses of Parliament.

[F.No. I-11013/1/2020-ID]

MINHAJ ALAM, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.26 22:03:24 +05'30'